फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)
सोनल बनाम अमित वगैरह
दीवानी दावा संख्या – 31/2013
सी.आई.एस संख्या– 1170/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.09.2025	श्री इन्द्रेश के रामचन्दानी विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी की ओर से। श्री विक्रम पुरोहित विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से उप. स्थित। इस आदेश द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 08.09.2025 अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12, 14 सपठित धारा 151 जा. दी. का निस्तारण किया जा रहा है। इस प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। इस प्रार्थना पत्र की बहस में उभयपक्षो ने अपने–अपने प्रार्थना पत्र एवं जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया है। हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादी ने दिनांक 01.04.1991 के विभाजन बाबत दस्तावेज को तलब किये जाने की प्रार्थना की है। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.08.2025 का उल्लेख किया है। इस आदेश में इस न्यायालय ने अपने विवेचन में कहीं भी यह उल्लेख नही किया है कि उक्त दस्तावेज को वादी आदेश 11 नियम 12 व 14 का प्रा. र्थना पत्र प्रस्तुत कर तलब करवा सकता है। इस दस्तावेज का उल्लेख प्रतिवादीगण ने अपने जबावदावे के विशेष कथन के मद संख्या 02 में किया है। यह जबावदावा प्रतिवादी की ओर से दिनांक 30.11.2013 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था अर्थात वादी को दिनांक 30.11.2013 को ही उक्त दस्तावेज की जानकारी हो गई थी। इसके बावजूद दस वर्षो से भी अधिक समय तक हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने का कोई न्यायसंगत कारण वादी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दर्शित नही किया गया है। वादी जिस दस्तावेज को तलब करवाना चाहता है उस संबंध में कोई तनकी हस्तगत प्रकरण में विरचित नही की गई है ऐसी स्थिति में यह दस्तावेज हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज नही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण को विलंबित करने के आशय से प्रस्तुत किया है। अतः यह प्रार्थना पत्र 500/– रूपये कॉस्ट पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जिरह/साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 04. 10.2025 को पेश हो। **(संदीप आनन्द)**	